


ई-ऑक्शन भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया

1. SSO Rajasthan Portal पर लॉगिन

- ई-नीलामी में भाग लेने हेतु राजस्थान सरकार की RAJASTHAN SINGLE SIGN ON (SSO) की सेवा <https://sso.rajasthan.gov.in/signin> पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- जिनकी पूर्व में उक्त पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनी हुई है वे सबसे पहले SSO Rajasthan Portal पर अपडेट प्रोफाइल में जाकर Display Name, E-mail Personal, Aadhaar ID (VID) को अपडेट/सही करें। क्योंकि उक्त प्रोफाइल में दर्ज जानकारी से ही यूडीएच पोर्टल पर ई-ऑक्शन हेतु प्रोफाइल बनाई जानी है।
- SSO Rajasthan Portal पर रजिस्ट्रेशन/अपडेट प्रोफाइल करने के बाद Citizen Apps (G2C) में जाकर Urban Services को सेलेक्ट करें।
- संबंधित ई-ऑक्शन प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में विस्तारित सूचना एवं जानकारी हेतु अधिकारियों के मोबाइल नं. एवं ई-मेल आईडी उपलब्ध होते हैं।



2. URBAN SERVICES Portal पर ई-ऑक्शन सर्विस को Subscribe करें।

- URBAN SERVICES Portal पर पहली बार पहुंचने पर पोर्टल पर उपलब्ध सिटीजन सर्विसेज में से E-Auction सर्विस को Subscribe करें।



- b. उपलब्ध UIT/Development Authority का चयन कर E-Auction सर्विस को Subscribe करें।

Citizen Services

Proceed For Services Subscription

Service Name	:	E-Auction
Subscription Validity	:	Lifetime
Subscription Fee (Rs.)	:	0.00
GST on Fee (Rs.)	:	0.00
Net Payable Amount (Rs.)	:	0.00
Select UIT/Development Authority	:	Jaipur Development Authority

(After successful subscription you will be able to avail this service for above selected uit/development authority only. You will have to subscribe this service by paying subscription fee (if applicable) separately for each uit/development authority.)

(सफल सदस्यता के बाद आप इस सेवा का उपयोग केवल ऊपर चयनित यूआईटी / विकास प्राधिकरण के लिए ही कर सकते हैं। आपको प्रत्येक सेवा / विकास प्राधिकरण के लिए इस सेवा की सदस्यता अलग से सदस्यता शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करके लेनी होगी।)

I hereby declare that I have carefully read all the terms and conditions of this Service and agree to terms & condition and privacy policy of UIT/DA.

[Back To Services](#) [Proceed to subscribe](#)

3. ई-ऑक्शन पोर्टल पर Profile बनाएं

- a. आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि बिड में भाग लेने से पूर्व उक्तानुसार प्रक्रिया समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रोफाइल अनुमोदित होने के बाद ही बोलीदाता बिड प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य होगा। पहली बार पोर्टल का उपयोग करने पर My Profile में जाकर Add New Profile को चुनें।

1. My Profiles [Add New Profile](#)

My Active Profiles

Note: If you have submitted your profile details, but details have not been approved until after 48 hours. Please contact on helpdesk number. [Time - 10:00 AM TO 06:00 PM]
यदि आपने प्रोफाइल का विवरण सबमिट कर दिया है, लेकिन विवरण 48 घंटे पश्चात् तक स्वीकृत नहीं हुआ है, तो कृपया हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क करें। [Time - 10:00 AM TO 06:00 PM]
No Record Found

2. Add New Profile [Back to My Profiles](#)

Please Select Profile Type

Individual Profile (For individual persons) ●

Non Individual Profile (For other than individual persons) ●

[Continue](#)


- b. आवश्यकता अनुसार प्रोफाइल के प्रकार का चयन कर चाही गई सूचना जैसे कि पिता का नाम, पैन नम्बर, पता इत्यादि दर्ज करने बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेजों की जांच के बाद, दस्तावेजों के सही पाए जाने पर ही प्रोफाइल अनुमोदित कि जाती है। दस्तावेज आदि में कमी रहने पर सिस्टम द्वारा Notification के जरिए सूचित किया जाता है, जिसे पूर्ण करके पुनः प्रोफाइल सबमिट की जिम्मेदारी सवयं आवेदक होगी।

- कृपया ध्यान दें, पहली बार प्रोफाइल में सूचना दर्ज कर Save As Draft चुनने बाद प्रोफाइल को Submit करना ना भूलें।
- प्रोफाइल को सबमिट करने बाद, My Profile में जाकर प्रोफाइल का Status चेक करना ना भूलें। अगर Status: Draft लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अब तक प्रोफाइल को Submit नहीं किया है।




4. ई-ऑक्शन पोर्टल पर Refund Accounts सबमिट करें

- ई-ऑक्शन हेतु यह अनिवार्य है की आपको अपना बैंक खाता दर्ज कर अपूर्व करना होगा। पहली बार पोर्टल का उपयोग करने पर Refund Accounts में जाकर Add New Refund Account को चुनें।
- Add New Refund Account में मांगी गई सूचना दर्ज करे एवं Proof of Bank Account अपलोड करने के बाद Save and Submit का चयन करें।



5. ऑक्शन का चयन एवं EMD जमा करना


- Refund Accounts एवं My Profiles में दर्ज सूचना का स्टेटस Approved होने के बाद, My Auction को सेलेक्ट करें।
- My Auction में संबंधित UIT/Development Authority के सभी ई-ऑक्शन उपलब्ध होंगे। उपलब्ध ई-ऑक्शन में चाहे गए ऑक्शन के Participate/View Details का चयन किया जाएगा।



- c. ऑक्शन के Participate/View Details के चयन बाद, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्त सूचना/डाक्यूमेंट्स उपलब्ध होगी जिनसे संतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा Participate का चयन किया जाएगा।



- d. Participate का चयन करने के बाद प्रोफाइल का चयन एवं EMD के भुगतान हेतु Payment Mode में NEFT RTGS/ Online का चयन करें जिसके बाद दर्शाए गए रिफंड अकाउंट को चुनें और नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें। उसके बाद, Proceed बटन सेलेक्ट कर आगे बढ़ें।



- g. अगर भुगतान करते समय कोई समस्या आ जाए तो कृपया तुरंत दोबारा भुगतान नही करें, My Dashboard में जाकर कुछ समय तक चालान को Check Status द्वारा चेक करते रहें। चालान का स्टेट्स असफल होने की स्थिति में दोबारा भुगतान करें।




6. ई-ऑक्शन में बिड लगाना

- a. ई-ऑक्शन में बिड रूम, EMD का भुगतान सफल होने के उपरान्त ही दिखाई देता है बिड लगाने हेतु “My Auction” को सेलेक्ट करें एवं उसके बाद, “My Ongoing Auctions/Bid Room” का चयन करें। चयन के बाद, प्रार्थी को वो ई-ऑक्शन प्रॉपर्टी दिखाई देगी जिनमें प्रार्थी ने EMD का सफल भुगतान कर किया है। बिड लगाने हेतु संबंधित प्रॉपर्टी के आगे दिए गए “Bid Now” को चुनें।



- b. बिड रूम के चयन के बाद, “Enter to Bidding Room” को चुनें। इसके बाद, बिडिंग रूम खुलेगा जिसमें प्रार्थी की स्वयं की बिड में वर्तमान रैंक, वर्तमान बिड राशि आदि सूचना प्रदर्शित होगी।
- c. “Bid Now” बटन द्वारा “Your New Bid” सेक्शन में “+” चिन्ह (Plus sign) द्वारा वर्तमान बिड राशि को बढ़ाकर बिड लगाई जाती है। “Bid Now” बटन दबाने के उपरांत ही सिस्टम में बोली दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है।



7. ई-ऑक्शन में सफल/असफल होने के पश्चात

- ई-ऑक्शन की समाप्ति के बाद, प्रथम स्तर की समिति के निर्णय के उपरांत बिड को सक्षम अधिकारी को अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसी समय सफल एवं असफल आवेदकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।
- सक्षम अधिकारी के अंतिम निर्णय की सूचना सफल एवं असफल आवेदकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।
- ई-ऑक्शन बिड में असफल बोलीदाता को EMD की भुगतान की गई राशि तुरन्त प्रभाव से लौटा दी जाती है। असफल बोलीदाता को इस हेतु संबंधित UIT/Development Authority से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- समिति के निर्णय के उपरांत, सफल आवेदक को 15% राशी का डिमांड एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित करते हुए "My Dashboard" में "Awarded Auction Schedules and Payments" सेक्शन के अन्दर दिखाई देना शुरू हो जाता है।

8. ई-ऑक्शन में सफल आवेदकों की भुगतान प्रक्रिया

- ई-ऑक्शन में सफल आवेदक द्वारा मांग राशी का भुगतान बिड की नियम एवं शर्तों के अनुसार ऑनलाइन के माध्यम से करना होता है। उससे संबंधित सभी सूचना आवेदक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध होती है। संबंधित UIT/Development Authority द्वारा भुगतान की देय राशि एवं समय सीमा के डिमांड जारी किए जाते हैं जो कि आवेदक को ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं।
- दिए गए सफल भुगतान की प्राप्ति रसीद डैशबोर्ड पर उपलब्ध होती है। साथ ही जारी किए गए डिमांड को टुकड़ों में जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।